

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/3664/शैक्षिक भ्रमण/सीएम घोषणा/17-18

दिनांक-28/08/2017

1. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा

विषय:- शिक्षा सत्र 2017-18 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण के संबंध में योजना एवं वित्तीय प्रावधान राज्य सरकार के पत्रांक प. 1 (17) 9 शिक्षा-1/प्राशि/2010 दिनांक 01.09.2011 के द्वारा स्वीकृत किया गया । इसकी पालना में सत्र 2017-18 के लिए योजना जारी की जा रही है । योजना के अनुसार राजकीय विधालयों में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थियों के लिए अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा सर्किल आर्गनाईजर सीओ स्काउट एवं गाईड (नोडल अधिकारी) को दिया जाता है, कार्यक्रम की क्रियान्विति निम्नानुसार की जानी है :-

क्र.सं.	कार्यक्रम	तिथी/अवधि
1.	जि.शिक्षा प्रारं. शिक्षा कार्यालय में संस्था प्रधान के माध्यम से छात्र-छात्राओं से आवेदन प्राप्त करना ।	15.09.2017
2.	जि.शिक्षा प्राशि द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से वरीयता के आधार पर निर्धारित संख्या में छात्र-छात्राओं का चयन कर संबंधित को सूचित करना ।	20.09.2017
3.	उपनिदेशक प्राशि द्वारा अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन करना	27.09.17 तक
4.	पांच दिवसीय अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण की अवधि	11.10.2017 से 15.10.2017 तक

उक्तानुसार कार्यक्रम के अनुसार अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्र विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जावे। भ्रमण के समय विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस हेतु पांच दिवसीय कार्य-योजना बनाकर भ्रमण हेतु प्रस्थान करें तथा अतिरिक्त आयुक्त, रा.प्राशिप, जयपुर के द्वारा छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने में बरती जाने वाली सावधानियों के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश (छात्राप्रति संलग्न) भी प्रसारित किये जाने हैं, जिनमें संलग्न पत्र के अनुसार Standard safety Measures के बिन्दू लिखें हैं। उक्त दिशा-निर्देशों की पालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जावे। समय-समय पर इस कार्य की प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करवाया जावे तथा शैक्षिक भ्रमण कार्य की समाप्ति के पश्चात लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या आगामी कार्यदिवस में इस कार्यालय को ईमेल आईडी- shakshikcelledu@gmail.com पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु आवंटित बजट का दिनांक-31.10.17 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जावे तथा यदि आवंटित बजट कम है तो जितना बजट उपलब्ध है उसका व्यय करने के पश्चात शेष राशि हेतु वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को निर्धारित प्रपत्र में दिनांक-15.11.17 तक अतिरिक्त बजट मांग के प्रस्ताव अनिवार्यतः भिजवावें।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार (योजना, निर्देश एवं आवेदन पत्र)


निदेशक


प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक : शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / सी / 3664 / शैक्षिक भ्रमण / सीएम घोषणा / 17-18
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक 28/8/17

1. राज्य मुख्य आयुक्त, राजस्थान राज्य स्काउट एवं गाईड राज्य मुख्यालय जेएलएनमार्ग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आप अपने स्तर से भी प्रदेश के समस्त सर्किल आर्गनाईजर को निर्देशित करावे ताकि योजना की क्रियान्विति सुचारु रूप से हो सके ।
2. उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा आयोजना विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
4. निजी सचिव निदेशक / निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा ।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हे कि वे समस्त जिलों में योजनानुसार राशि का आवंटन करावे ।
6. सहायक लेखाधिकारी योजना / बजट कार्यालय हाजा ।
7. सर्किल आर्गनाईजर सीओ राजस्थान स्काउट एवं गाईड समस्त ।
8. संपादक शिविरा पत्रिका को 7 अतिरिक्त प्रतियो के प्रकाशनार्थ ।



निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के संबंध में योजना ।

विद्यार्थियों को शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ राज्य के परिवेश, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थल एवं सांस्कृतिक स्थलों की व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध करवाई जानी भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इस हेतु योजना निम्नानुसार है:-

1. उद्देश्य:-

1. राज्य के ऐतिहासिक/सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहरों से परिचित करवाना ।
2. स्थापत्यकला की जानकारी कराना ।
3. विद्यार्थियों को प्राकृतिक धरा का आनंद उठाने का अवसर प्रदान करना ।
4. विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से ओतप्रोत करना ।
5. विद्यार्थियों में पुस्तकीयज्ञान के अतिरिक्त अन्यज्ञान की वृद्धि करना ।

2. शैक्षिक भ्रमण :-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण एवं विद्यार्थी योग्यता-

1. राजकीय विधालय में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दीपावली अवकाश में राज्य के अन्य जिले में 5 दिवसीय राजस्थान दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा जायेगा ।

2. योग्यता:-

- राजकीय विधालय में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थी जिन्होंने गत परीक्षा कक्षा 6 व 7 में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ।
- राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक/साहित्यिक/खेलकूद/स्काउट एवं गाईड प्रतियोगिता में भाग लेकर सहभागी/विजेता रहे हों ।

3. विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या:-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण-प्रत्येक जिले के 24 विद्यार्थी (कक्षा 7 के 12 व कक्षा 8 के 12) एवं 02 अध्यापक ।

4. मेरिट का निर्धारण-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए विद्यार्थियों का चयन पूर्णत वस्तुनिष्ठ प्रणाली (objective pattern) के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा ।

(अ) प्रतिभावान (Scholar) के आधार पर जिले की वरीयता से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के 6+6=12 (प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय) का चयन होगा ।

(ब) गतिविधियां (Activity) राज्य पुरस्कार/तृतीय सोपान प्राप्त स्काउट एवं गाईड प्रतियोगिताओं में सहभागिता के आधार पर 12 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा । कुल 24 विद्यार्थियों का दल होगा । चयन हेतु छात्र-छात्रा द्वारा गत परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर गणना की जायेगी ।

5. विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करना एवं चयन प्रक्रिया-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जिले में संस्था प्रधान के माध्यम से प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन कर निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के द्वारा शैक्षिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों को दीपावली अवकाश के समय राज्य के अन्य जिलों के लिए ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर 5 दिवस के लिए भ्रमण पर भेजा जावेगा ।

6. **यात्रा व्यय**— विधार्थियों की यात्रा का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी । इस हेतु बजट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा । यह बजट संबंधित नोडल अधिकारी को आवंटित किया जायेगा जो संबंधित दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पालना करते हुए व्यय करेगा । अध्यापक की यात्रा का संपूर्ण व्यय यात्रा भत्ता नियमों के तहत राजकीय मद से देय होगा । यह विधार्थियों के व्यय में सम्मिलित नहीं होगा तथा समस्त लेखे विधिवत संधारित करते हुए व्यय विवरण सहायक लेखाधिकारी योजना एवं लेखाधिकारी बजट प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को नियमानुसार यथासमय प्रस्तुत करेंगे ।
7. **नोडल अधिकारी— अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण**— जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा सर्किल ऑर्गनाइजर स्काउट/गाईड द्वारा भ्रमण की योजना का निर्माण किया जायेगा तथा अपने जिले में आने वाले दल के भ्रमण तथा आवास आदि की व्यवस्था की जावेगी ।
8. **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत विधार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के संबंध में अनुमानित व्यय का विवरण—**
 (अ) विभिन्न मदों में अनुमानित व्यय हेतु विवरण प्रति विधार्थी प्रस्तावित व्यय (रूपयों में)
 किराया— 1500/— भोजन—600 अल्पाहार—300/ आवास—500/
 स्टेशनरी—200/— अन्य व्यय—186 कुल प्रति विधार्थी 3286/—
 (ब) प्रतियोगिताओं में प्रथम से तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विधार्थियों को पुरस्कार राशि निम्नानुसार देय होगा ।
 प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विधार्थी को 350/—
 द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विधार्थी को 250/—
 तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विधार्थी को 200/—
9. भ्रमण के दौरान समस्त संभागी विधार्थी एवं एस्कोट शिक्षक जिला मुख्यालय पर स्थित स्काउट हैड क्वार्टर पर ठहरेंगे ।
10. अध्यापक का चयन—स्काउट/गाईड अध्यापक को प्राथमिकता दी जावेगी ।
11. संभाग स्तर पर शिक्षा उपनिदेशक प्रारम्भिक तथा सहायक राज्य संगठन आयुक्त (ए-एस-ओ-सी) यात्राओं का अनुमोदन तथा उनके परिक्षेत्र में आने वाले दलों की यात्रा एवं व्यवस्था का परिवीक्षण करेंगे । व्यय का संपूर्ण समायोजन कर अपने कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी से जांचोपरान्त प्रेषित करेंगे ।
 एक जिले के दल व भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारण संबंधित संभाग के उपनिदेशक एवं सहायक राज्य संगठन आयुक्त द्वारा किया जाएगा ।
12. भ्रमण के दौरान विधार्थियों की कुछ प्रतियोगिताएँ यथा—भ्रमण आलेख, क्विज, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ आदि भी आयोजित की जावे तथा प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विधार्थियों को पुरस्कार वितरण भी किया जावेगा ।
13. प्रतिवेदन— अन्तर्जिला दर्शन हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा में भाग लेने वाले सभी विधार्थी विधिवत यात्रा वृत्तान्त लिखेंगे, इस हेतु उन्हें एक डायरी एवं एक बॉलपैन उपलब्ध कराया जायेगा । सभी अध्यापक संभागीयों में से किसी एक को मुख्य प्रतिवेदक (Chief Reporter) यात्रा के प्रबंधक नोडल अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा जो यात्रा उपरान्त सभी यात्रा सहभागी अध्यापकों/विधार्थियों से उनकी रिपोर्ट प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ।

निदेशक
 प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर

शिक्षा सत्र 2017-18 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा हेतु छात्र/छात्रा आवेदन पत्र

1. छात्र/छात्रा का नाम.....
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. कक्षा (जिसमें अध्ययनरत है)
5. विद्यालय का नाम
6. विद्यालय स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक
7. घर/पत्र व्यवहार का पता
8. घर का फोन नम्बरमोबाईल नं.....
9. शैक्षिक सत्र 2016-17 में उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण-

फोटो प्रमाणित
संस्था प्रधान
द्वारा

कक्षा	कुल अंक	प्राप्तांक	उत्तीर्ण प्रतिशत
कक्षा 6 (कक्षा 7 में अध्ययनरत)			
कक्षा 7 (कक्षा 8 में अध्ययनरत)			

10 शैक्षिक सत्र 2016-17 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
1. राष्ट्र स्तर		
2. राज्य स्तर		

11 शैक्षिक सत्र 2016-17 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
1. राष्ट्र स्तर		
2. राज्य स्तर		

आवेदन पत्र के साथ मेरे द्वारा आवश्यक प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य है। मैं अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु जाना चाहता/चाहती हूँ।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अभिभावक द्वारा सहमति

मैं नामअपने पुत्र/पुत्री नाम.....
.....को विभाग द्वारा आयोजित अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण पांच दिवसीय राजस्थान दर्शन यात्रा पर भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। मेरा पुत्र/पुत्री यात्रा हेतु पूर्णतया स्वस्थ है तथा किसी गंभीर रोग से ग्रसित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम अभिभावक

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित

आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं एवं प्रलेखों की सत्यता की जांच स्वयं मेरे द्वारा कर ली गई है। छात्र/छात्रा के अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुशंसा की जाती है।

(हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय मोहर)

www.rajteachers.com

Standard safety measures

25

- (i) The Head of the Institution should ensure that the tour undertaken is required for the benefit of students and is related to the curriculum of the course in which such students are enrolled.
- (ii) The Head of the Institution should ensure issuing security i-cards to all such students and maintain a separate data base of the personal details like guardian/local guardian, home address, mobile, email etc. of such students and the same is carried by the students on his person.
- (iii) The Head of the Institution should ensure that written permission of one of the parents or the local guardian is submitted on behalf of every such student wanting to participate in an educational tour.
- (iv) The Head of the Institution should ensure that there is a senior teacher accompanying the students on such an educational tour. Further, a senior lady teacher should accompany if there are girl students participating in the educational tour.
- (v) The Head of the Institution should ensure that prior permission of the organisation is obtained in advance such educational tours are undertaken.
- (vi) If the tour is undertaken to public places, dam cities, power plants, sea beaches etc. a written communication must be made to the District Magistrate or concerned authorities.
- (vii) If the educational tour has more than 10 participants, it is necessary to hire a local tour operator who is well aware of the local conditions and can advise accordingly.
- (viii) The Head of the Institution should ensure that an undertaking is taken from every participating student that they would abide by all the rules and also that they have submitted the permission by their parents or local guardian before they participate in the educational tour.
- (ix) The Head of the Institution should also certify in the form of an undertaking that the institute will provide all necessary help in case of emergency or otherwise to all such students who are part of the educational tour.